'पब्लिक बस हमारा हक़'
(रिक्लेमिंग द बस)

दिल्ली में मुफ्त, सुरक्षित व विश्वसनीय बस परिवहन के लिए एक अभियान

सेवा में,
श्रीमान अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
थर्ड लेवल, ए-विंग,
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट
नई दिल्ली 110002

विषय: दिल्ली में बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए नि:शुल्क, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध

प्रिय महोदय,

कोविड 19 के प्रकोप और तत्पश्चात आये आर्थिक संकट ने दिल्ली में समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन के महत्व को उजागर किया है। कल्याणकारी राज्य की भूमिका आज अभूतपूर्व रूप से प्रासंगिक हो गयी है। इस संबंध में महिलाओं के लिए किराया-मुक्त बस योजना जैसे दिल्ली सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न कदम सही दिशा में हैं। इस निर्णय से प्रेरित होकर, सार्वजनिक परिवहन के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ होने की मांग की आवाजें उठ रही हैं।

दिल्ली में नागरिकों की आवागमन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वसनीय और सुरक्षित सार्वजनिक बस सेवा का प्रावधान महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन को एक आवश्यक सेवा माना है। जब दिल्ली मेट्रो का संचालन बंद था, तो यह स्पष्ट हो गया कि बसें दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ हैं। कोविड 19 द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं, आशंकाओं और चुनौतियों के बावजूद जनपरिवहन उपयोगकर्ताओं के बीच बसें लोकप्रिय रहीं।

दशकों के विद्वतापूर्ण शोध ने यह भी साबित कर दिया है कि दिल्लीवासियों के लिए बसें सबसे उपयुक्त और संवहनीय तकनीक हैं। विभिन्न आंकड़ों ने नियमित रूप से इस दावे का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए, भारत की जनगणना-2011 के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 25 प्रतिशत से अधिक कार्य-यात्राएं बस आधारित हैं। इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासियों के सामाजिक-आर्थिक संघटन पर दिल्ली सरकार की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 60 प्रतिशत से अधिक लोग कार्यस्थल की यात्रा के लिए बस का उपयोग करते हैं, जो मात्र 6 प्रतिशत मेट्रो उपयोगकर्ताओं की तुलना में कहीं ज्यादा है। यह दिल्ली में बस परिवहन की केंद्रीयता और शहरी आवागमन के भविष्य में इसकी भूमिका का एक स्पष्ट संकेत है।

हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बस सेवाओं को बेहतर बनाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, फिर भी बस परिवहन प्रणाली को सभी के लिए सुरक्षित रूप से सुलभ और भरोसेमंद बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आईआईटी दिल्ली में ट्रिप (TRIPP) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में 60 प्रतिशत बस उपयोगकर्ता कैप्टिव सवारी हैं (जिनके पास बसों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है), और शेष 40 प्रतिशत के पास ही अपने वाहन या अन्य साधनों तक पहुँच है। यदि बस प्रणाली को जल्द ही सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वसनीय नहीं बनाया गया, तो यह 40% आबादी परिवहन के विभिन्न साधनों की तरफ चली जाएगी। इस संबंध में, हम मांग करते हैं कि दिल्ली में सभी के लिए मुफ्त, सुरक्षित और विश्वसनीय बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने की दृष्टि से एक समर्पित 'राज्य स्तरीय बस नीति' अपनाई जानी चाहिए। हम मांग करते हैं कि नीति को इन मांगों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए:

1. बस सेवाओं को आवश्यक सेवा माना जाना चाहिए, और राज्य में बनने वाली सभी मौजूदा सड़कों और नई सड़कों में बसों, पैदल यात्रियों और साइकिल हेतु बुनियादी ढांचे को सड़क स्थान आवंटन के सन्दर्भ में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

2. बस सेवा चलाने वाले श्रमिकों को आवश्यक कर्मचारी माना जाना चाहिए, और उनकी सुरक्षा और कल्याण सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को उन सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों के परिवारों और आश्रितों की सहायता के लिए एक मुआवजा नीति अपनानी चाहिए जिनकी कोविड 19 के कारण या अन्यथा ड्यूटी पर मृत्यु हो गई।

3. बस आधारित सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए किराया मुक्त किया जाना चाहिए। बस उपयोगकर्ताओं को उपभोक्ताओं के रूप में नहीं बल्कि आवागमन के अधिकार और शहर पर अधिकार वाले नागरिकों के रूप में देखा जाना चाहिए। बसें इन अधिकारों को साकार करने के लिए साधन प्रदान करती हैं, और किराए को उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों, के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए।

4. महामारी के दौरान और बाद में सभी के लिए बस स्टॉप तक पहुंच और बसों पर यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। बस पर चढ़ने और उतरने को भी सभी लोगों के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग और शारीरिक क्षमता के हों। सरकार को मौसमी परिवर्तनों से बस यात्रियों को बचाने और बुजुर्ग व्यक्तियों और महिलाओं को बैठने की जगह प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चिन्हित 1397 बस क्यू शेल्टरों के निर्माण में तेजी लानी चाहिए।

5. बस सेवाओं की विश्वसनीयता, विशेष रूप से समय सारिणी और यात्रा के समय में सुधार किया जाना चाहिए। बस स्टॉप पर और बसों के अंदर सार्वभौमिक रूप से सुलभ माध्यमों से बस उपयोगकर्ताओं को रूट और समय की जानकारी दी जानी चाहिए।

6. बस उपयोगकर्ताओं को समान हितधारक माना जाना चाहिए, जिनके पास बस सेवाओं के मार्ग नियोजन, संचालन और प्रबंधन की योजना में शामिल होने का अवसर होना चाहिए।

7. बस को 'सेवा' श्रेणी के बजाय 'बुनियादी ढाँचा' श्रेणी में रखा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार को बस संचालन एजेंसियों को आवंटित बजट के अनुसार नियमित धन हस्तांतरण के लिए परेशानी-मुक्त चैनल प्रदान करना चाहिए, और उनके संगठनों को एक आवश्यक संस्थान माना जाना चाहिए।

हमें विश्वास है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री मांगों पर विचार करेंगे और दिल्ली को भारत का पहला बस-आधारित जनपरिवहन हेतु समर्पित नीति वाला पहला राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।
अभियान के बारे में अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: sumnet.in/Delhi-bus-campaign

सादर,

(राजेंद्र रवि) (अर्जुन सिंह)

"पब्लिक बस हमारा हक़' दिल्ली में मुफ्त, सुरक्षित व विश्वसनीय बस परिवहन के लिए एक अभियान' के सदस्य,
दिल्ली बस यात्री यूनियन
तथा
सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी नेटवर्क (एसयूएम नेट) इंडिया

कॉपी:
1. श्रीमान अनिल बैजल, उपराज्यपाल, दिल्ली रा.रा.क्षे.
2. श्रीमान कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार
3. श्रीमान गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री, दिल्ली सरकार
4. श्रीमान जैस्मीन शाह, उपाध्यक्ष, डीडीसीए, दिल्ली सरकार
5. आदरणीय विधायकगण, दिल्ली विधान सभा
6. कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली
7. कमिश्नर, उत्तर दिल्ली नगर निगम
8. कमिश्नर, दक्षिण दिल्ली नगर निगम
9. कमिश्नर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
10. सुश्री स्वाति मालीवाल, चेयरपर्सन, महिला आयोग, दिल्ली सरकार
11. डिवीजनल रेलवे मेनेजर, दिल्ली डिवीजन, उत्तर रेलवे
12. प्रो. सतीश चन्द्र, निदेशक, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट

पत्राचार हेतु पता:
मकान नंबर-7, गल-6, ब्लॉक-ए
हिमगिरी एन्क्लेव,
पेप्सी रोड, मेन बुरारी रोड,
दिल्ली 110084.

***यह पत्र मेल द्वारा भी भेजा जायेगा**

दिल्ली बस यात्री यूनियन

SUM Net India
Sustainable Urban Mobility Network